संख्या- 31 /2017/1271/30-3-17-03बी/2008

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 15 मई, 2017

विषय : लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-441स0सु0/2017-06-प्रावि0/2011, दिनॉक 10-04-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि गत वित्तीय वर्ष में इन्सपेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर हेतु कुल रू0 497.76 लाख का प्राविधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इन्सपेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर हेतु "लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-मोटरयान टेस्टिंग स्टेशन-24-वृहत निर्माण कार्य" में कोई प्राविधान प्रस्तावित नहीं किया गया, परन्तु गत वित्तीय वर्ष में व्यय न हो पाने के कारण धनराशि समर्पित की गयी है। उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त उ0प्र0 द्वारा सड़क सुरक्षा कोष में पूंजीगत मद में लेखानुदान के माध्यम से उपलब्ध धनराशि रू0 1041.67 लाख में से रू0 497.76 लाख इन्सपेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में इन्सपेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर हेतु "लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-मोटरयान टेस्टिंग स्टेशन-24-वृहत निर्माण कार्य" में कोई प्राविधान प्रस्तावित नहीं किया गया है। उक्त के दृष्टिगत लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर के निर्माण हेतु परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत निर्माण कार्य मद में धनराशि रू0 2500 लाख की बजट व्यवस्था के सापेक्ष प्रथम 05 माह के लेखानुदान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1041.67 लाख से रू0 497.76 लाख का पुनर्विनियोग लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-मोटर टेस्टिंग स्टेशन-24-वृहत निर्माण कार्य मद में आदेश संख्या-27/2017/966/30-3-2017-3बी/2008, दिनॉक 09-05-2017 द्वारा कराया गया है।

3- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-आरटी 11036/99/2011-एमवीएल, दिनॉक 28-11-2014 द्वारा लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना/निर्माण हेतु लागत रू0 12.62 करोड़ स्वीकृत की गयी है, जिसमें दी गयी फांट के क्रमांक-(I) से (XII) में सिविल कान्स्ट्रक्शन कार्य हेतु धनराशि रू0 840.00 लाख का प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा उक्त कार्य हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समय-समय पर स्वीकृत धनराशि के अनुसार शासनादेश संख्या-1/3584/30-3-14-03बी/2008, दिनॉक 02-01-2015 द्वारा रू0 182.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-6/2016/81/30-3-16-03बी/2008, दिनॉक 18-01-2016 द्वारा रू0 250.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है। तत्क्रम में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से ई-मेल द्वारा प्राप्त पत्र दिनॉक 22-02-2017 द्वारा रू0 440.00 लाख की स्वीकृति निर्गत करते हुए परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के खाते में एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से दिनॉक 08-03-2017 को स्थानान्तरित किया गया है, जिसको परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा लेखाशीर्षक-1055-सड़क परिवहन-800-अन्य प्राप्तियां-05-लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना हेतु चालान संख्या-जे 03000 दिनॉक 20-03-2017 द्वारा जमा करा दी गयी है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में सिविल कान्स्ट्रक्शन कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि रू0 497.76 लाख (रू0 चार करोड़ सत्तानवे लाख छियत्तर हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) लखनऊ में इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार इंटरनेशल सेंटर फार आटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) के मध्य हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय एम0ओ0यू0 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था-सी0 एण्ड डी0एस0 (जल निगम, उत्तर प्रदेश) से परिवहन आयुक्त उ0प्र0 द्वारा अनुश्रवण करके प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न करके कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करा लिया जायेगा। साथ ही विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। परिवहन आयुक्त तथा आईसीएटी के द्वारा समय-समय पर कार्य का निरीक्षण किया जायेगा व सामान्य पर्यवेक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे। कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(6) जिस मानक मद की बचत से पुनर्विनियोग किया गया है उसकी मानक मद से चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(7) पुनर्विनियोजित प्रस्तावित धनराशि का का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(8) प्रश्नगत पुनिर्विनियोग मात्र बजट व्यवस्था हेतु कराया गया है। भुगतान के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जायेंगी।

(9) विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चत कर लेंगे कि प्रश्नगत पुनिर्विनियोग से उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2014 में निहित शर्तों/प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-मोटरयान टेस्टिंग स्टेशन-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)

विशेष सचिव।

संख्या-31/2017/1271(1)/30-3-2017, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- अवर सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ), परिवहन भवन, 01 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके पत्र दिनॉक 20-02-2017 के क्रम में।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) द्वारा परिवहन आयुक्त।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह०

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।